

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0.....²⁶¹⁵ / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अरविन्द कुमार, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-62)(पी0बी0 II रू0 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू0 4800), योजना-सह-वित्त विभाग(वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0.....²⁶¹⁵ / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नागेन्द्र शर्मा, आप्त सचिव(कोटि क्रमांक-63) (पी0बी0 II रू0 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू0 4800), महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0.....²⁶¹⁷ / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नरेन्द्र कुमार, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-64) (पी0बी0 II रू0 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू0 4800), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदस्थापन के पश्चात् झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


ह0/-
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-03/2015 का0..... / राँची, दिनांक- / / 2016 ई0।
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-03/2015 का0.....2617 / राँची, दिनांक-28/3/2016 ई0।

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/सचिव के आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा/चोइल पदाधिकारी, ई-गजट, झारखण्ड, राँची तथा संबंधित नवप्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/03/16
सरकार के उप सचिव।